संख्या- 7/2021/429/एक-1-2021-142(45)/2012

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 14 जून, 2021

विषयः- जी0ई0टी0 एण्ड डी0 इण्डिया लि0, नैनी, प्रयागराज के पक्ष में दिनांक 15 जून, 1965 को, दिनांक 24 अक्टूबर, 2057 तक के लिए दी गई लीज को, उसमें उल्लिखित समस्त शर्तों सहित, लीज की शेष अवधि के लिए शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स लि0, हैदराबाद, तेलंगाना को फ्रेश लीज के माध्यम से ट्रांसफर किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-956/एस0टी0-एल0आर0-2020, दिनांक 04 फरवरी, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि जी0ई0 टी0 एण्ड डी0 इण्डिया लि0, नैनी, प्रयागराज द्वारा अपनी कम्पनी के पूर्व नाम जी0ई0सी0 इण्डिया प्रा0 लि0 को वर्ष 1965 में 99 साल के लिए लीज पर दी गयी भूमि को अब शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स लि0, हैदराबाद, तेलंगाना को समान नियमों एवं शर्तों तथा industrial operations/employment की निरन्तरता बनाये रखने की शर्त पर स्थानान्तरित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। चूंकि जी0ई0 टी0 एण्ड डी0 इण्डिया लि0 द्वारा लो वोल्टेज के ट्रान्सफार्मर बनाये जाते रहे हैं तथा शिरडी साईं इलैक्ट्रिकल्स लि0 भी लो एवं मध्यम वोल्टेज के ट्रान्सफार्मर बना रही है, इसलिए नैनी फैसिलिटी को प्लाण्ट एवं मशीनरी सहित शिरडी साईं इलैक्ट्रिकल्स लि0 को विक्रय करने हेतु लीज को शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स लि0, हैदराबाद, तेलंगाना को ट्रांसफर किये जाने की आवश्यकता बतायी गयी है। इस हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जी0ई0 टी0 एण्ड डी0 इण्डिया लि0 द्वारा लीज पर दी गयी प्रश्नगत भूमि का परित्याग किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध किया गया है कि उक्त प्लाण्ट में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें यथावत् रहेंगी। जी0ई0टी0 एण्ड डी0 इण्डिया लि0 के पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2021 के साथ शिरडी साईं इलैक्ट्रिल्स लि0 के पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2021 द्वारा लीज डीड (15 जून, 1965) की शर्तें यथावत अनुपालन किये जाने की सहमति दी गयी है।

3- जी0ई0 टी0 एण्ड डी0 इण्डिया लि0 के पक्ष में दिनांक 15 जून, 1965 को उ0प्र0 सरकार की ओर से संयुक्त सचिव, राहत एवं पुनर्वास विभाग, उ0प्र0 शासन के हस्ताक्षर से लीज डीड की गयी है। जी0ई0 टी0 एण्ड डी0 इण्डिया लि0 को की गई लीज की अवधि 24 अक्टूबर, 2057 तक प्रभावी है। लीज डीड के पृष्ठ-8/9 पर उल्लिखित पैरा-2(vii) पर निम्नलिखित शर्त का उल्लेख किया गया हैः-

> That the Lessee shall not subdivide the said land or part with the possession or transfer by sale, mortgage, gift, or otherwise, or sublet the said land or the building theron or any part thereof (except the leasing to his employees of the cottages or quarters constructed by the Lessee for them) without the previous permission in writing of an officer appointed by the Lessor in this behalf, the decision whereof will be communicated to the Lessee within a period of six months from the date such application is received by the said officer.

4- यह भी उल्लेखनीय है कि The Repealing and Amending Act 2017, जिसमें गवर्नमेन्ट ग्राण्ट एक्ट 1895 को निरसित किया गया है, की धारा-4 निम्नवत् हैः-

> "The repeal by this Act of Any enactment shall not affect any other enactment has been applied, incorporated or refered to; and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, tittle, obligation or liability already acquired, accrued or inaccrued, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obiligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing.---"

प्रकरण में प्राप्त विधिक परामर्श के अनुसार यह पट्टा पुराने पट्टे की शेष अवधि के लिए पुराने पट्टे के क्रम में किया जा रहा है एवं इसे The Repealing and Amending Act 2017 की धारा-4 का संरक्षण प्राप्त होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरिउल्लिखित व्यवस्था के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया जी0ई0टी0 एण्ड डी0 इण्डिया लि0, नैनी, प्रयागराज (पूर्व नाम जी0ई0सी0 इण्डिया प्रा0 लि0) के पक्ष में दिनांक 15 जून, 1965 को की गई लीज को, उसमें उल्लिखित समस्त शर्तों सहित, लीज की शेष अवधि 24 अक्टूबर, 2057 तक के लिए गवर्नमेन्ट ग्राण्ट एक्ट-1895 (जिसके द्वारा राजकीय आस्थान अथवा सरकारी सम्पत्ति, को लीज पर दिये जाने का प्रविधान था) तथा सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्धन से सम्बन्धित (संशोधन) नियमावली, 2003 के प्राविधानों के अन्तर्गत शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स लि0, हैदराबाद, तेलंगाना के पक्ष में फ्रेश लीज के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों के अधीन ट्रांसफर किये जाने का एतद्द्वारा आदेश प्रदान करती हैः-

1. जी0ई0टी0 एण्ड डी0 इण्डिया लि0, नैनी, प्रयागराज को लीज उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में समर्पित करनी होगी।
2. शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स लि0, हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा लीज डीड निष्पादन के पूर्व लोक निर्माण विभाग की शर्त के अनुरुप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH), भारत सरकार से पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए अनापत्ति प्राप्त की जायेगी।
3. फ्रेश लीज डीड निष्पादन हेतु राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारी, प्रयागराज एक पक्षकार होंगे और वह पट्टाधारक की श्रेणी में आयेंगे तथा शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स लि0, हैदराबाद, तेलंगाना पट्टाग्रहीता होगा।
4. यह लीज डीड जी0ई0टी0 एण्ड डी0 इण्डिया लि0, नैनी, प्रयागराज (पूर्व नाम जी0ई0सी0 इण्डिया प्रा0लि0) को 15 जून, 1965 को की गई लीज की शेष अवधि दिनांक 24 अक्टूबर, 2057 तक के लिए ही मान्य होगी। इसके अतिरिक्त शिरडी साईं इलेक्ट्रिकल्स लि0, हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा दिनांक 15 जून, 1965 को की गई लीज डीड में उल्लिखित सभी शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में पट्टा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

5.(1) प्रस्तावित अन्तरण में शिरडी सांई इलेक्ट्रिकल्स लि0 के पक्ष में 30 वर्ष से अधिक अवधि की लीज का निष्पादन प्रस्तावित है। प्रस्तावित लीज पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1989 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 35 के प्रावधानों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसार भूमि के बाजार मूल्य पर अनुच्छेद-23(क) के प्राविधानों के अधीन स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है।

(2) सम्पत्ति पर स्थित स्थायी निर्माण के विक्रय पर जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा निर्धारित निर्माण मूल्य पर अनुच्छेद-23(क) के प्राविधानों के अधीन स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है।

(3) सम्पत्ति पर स्थित प्लाण्ट, मशीनरी एवं अन्य परिसम्पत्तियों के विक्रय पर जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा निर्धारित दर सूची के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित इनके मूल्य पर अनुच्छेद-23(क) के प्रावधानों के अधीन स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है।

6- कृपया उक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित कराते हुए, कृत कार्यवाही से शासन को अवगत करायें।

भवदीया,
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, श्रम विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, आवास विभाग, लोक निर्माण विभाग, न्याय विभाग तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
3- आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को उनके अ0शा0पत्र संख्या-4/2/1/2021-सी0एक्स0(1), दिनांक 08 जून, 2021 के क्रम में।
5- श्री अजय जैन, जी0ई0टी0 एण्ड डी0 इण्डिया लि0, 4/3 चक दाउद नगर, पो0आ0-नैनी, मिर्जापुर रोड प्रयागराज, पिन-211008
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in